छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 45 / रेरा / 2020 / 573 रायपुर, दिनाँक 27/05/2020

/ / परिपत्र / /

कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अंतर्गत दिनाँक 25.03.2020 से 31.05.2020 तक लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का नियमित कार्य विपरीत रूप से प्रभावित रहा है। अतः इस अवधि में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक 34 दिनांक 26. 11.2019 के माध्यम से वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31.12.2019 नियत की गई थी तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रतिदिवस 500 / – रूपये विलंब शुल्क देय है। किन्तु वर्तमान में लॉकडाउन होने के कारण रियल एस्टेट संबंधी समस्त कार्य विपरीत रूप से प्रभावित रहे है। अतः लॉकडाउन की अवधि दिनाँक 25 / 03 / 2020 से 31 / 05 / 2020 तक विलंब शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
2. छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा परिपत्र कमांक 18 व 19 दिनाँक 04.10.2018 के अनुसार ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन्होनें पंजीयन के समय दस्तावेज प्रस्तुत करने व वेबपेज सृजित करने हेतु एक माह का समय प्रदान करने हेतु Annexure–8 प्रस्तुत किया है, द्वारा यदि एक माह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते है, तो विलंब शुल्क देय है। ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी लॉकडाउन की अवधि दिनाँक 25 / 03 / 2020 से 31 / 05 / 2020 तक विलंब शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर